



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122020-223659
CG-DL-E-11122020-223659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3967]
No. 3967]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4514(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इस आदेश को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
2. खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 3 में, परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, नामतः -

“बशर्ते कि इस आदेश से कुछ भी, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में पंजीकृत कलाकार द्वारा विनिर्मित और बेचे जाने वाली वस्तु या सामान पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते कि इस आदेश से कुछ भी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीयक, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय द्वारा भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत उत्पाद के पंजीकृत स्वामी और प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा विनिर्मित और बेचे जाने वाली वस्तु या सामान पर लागू नहीं होगा”।

[फा. सं. पी-11(4)/2017-सी.आई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य आदेश को दिनांक 25 फरवरी, 2020 के सां. आ. 853 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार दिनांक 15 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या सां. आ. 3146 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry & Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 11th December, 2020

S.O. 4514(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Toys (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Toys (Quality Control) Second Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Toys (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 3, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured and sold by Artisans registered with Office of the Development Commissioner (Handicrafts), under Ministry of Textiles, Government of India:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured and sold by Registered proprietor and Authorised user of a product registered as Geographical Indication by the Registrar of Geographical Indications, Office of Controller General of Patents, Designs and Trademarks (CGPDTM), under Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

[F.No. P-11(4)/2017-C.I.]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 853(E), dated the 25th February, 2020 and last amended vide notification number S.O. 3146(E), dated the 15th September, 2020.